श्रम न्यायालय में लंबित मामले

1783. श्री ईश दत्त यादव: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में श्रम न्यायालयों की स्थिति अत्यन्त असंतोषजनक है;

(ख) यदि हां, तो दिनांक 30 जून, 1997 की स्थिति के अनुसार श्रम न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान निपटाए गए मामलों की राज्यवार संख्या क्या है;

(घ) वर्ष 1996-97 के दौरान स्थापित किए जाने वाले नए श्रम न्यायालयों तथा मामलों की निपटाने के लिये निर्धारित किए गए लक्ष्यों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) बढ़ते जा रहे बकाया मामलों को निपटाने के लिए राज्यों के परामर्श से तैयार की गई कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्यों को कोई सहायता प्रदान की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

बिहार में बाल श्रमिक

1784. श्री जनार्दन यादव: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाल-श्रम व्यवस्था के उन्मूलन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) बिहार के ऐसे बाल श्रमिकों की संख्या कितनी है जिन्हें अब तक इस व्यवस्था से मुक्ति दिला दी गई है; और

(ग) क्या यह सच है कि बिहार में लाखों बच्चे विभिन्न जोखिम वाले उद्योगों में काम कर रहे हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार): (क) सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सभी व्यवसायों और उद्योगों से बाल श्रम के उन्मूलन की संकल्पना है। सरकार ने बाल श्रम के उत्तरोत्तर उन्मूलन के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

(ख) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अन्तर्गत, बिहार राज्य में 174 विशेष स्कूलों के माध्यम से जोखिमकारी व्यवसायों में कार्यरत 12,200 बच्चों को परिधि में लेते हुए आठ बाल श्रम परियोजनाएं संस्वीकृत की गई है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, 10,094 बच्चों को परिधि में लेते हुए अब तक 173 स्कूल खोले गए है।

(ग) 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में श्रम जीवी बच्चों की कुल संख्या 9.42 लाख थी। बिहार राज्य में जोखिमकारी व्यवसायों में कार्यरत बच्चों की संख्या की जानकारी नहीं है।

Welfare of UNORGANISED Labour-Force

1785. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) the total estimated strength of unorganised labour and the total labour force in the country during the last three years, with State-wise breakup;

(b) the details of steps taken during the same period to protect and promote the interests of unorganised workforce in the country;

(c) the details of schemes formulated fresh policy initiatives taken for protecting/promoting the interests of unorganised labour, State-wise; and

(d) the details of agenda/action plan formulated for implementation during 1997-98?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR): (a) to (d) The total work force in the country is about 315 million out of which unorganised sector constitutes about 90%. Year-wise and State-wise information about the unorganised labour is not maintained. Most of the Labour Laws apply to workers in the organised as well as unorganised sectors. Minimum Wages Act is an important piece of social-legislation meant to safeguard the interest of workers in the unorganised sector. Additionally, for certain categories of unorganised workers, the Government have estab-